

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प गिरधारी लालपुरा

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का
व भूअ.नि. वृत्त की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब
तहसीलदार की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला
की जमाबंदी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व
रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जयपुर	32	गणेश पुत्र रामकरण	गणेश नातपण पुत्र रामकरण

शिविर प्रभारी
उपखण्ड लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू, जयपुर।

दि 17-12-2021

क्रमांक:- 25/12/2021/3794
प्रतिलिपि:- चाकसू

1. तहसीलदार, तहसील को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

शिविर प्रभारी
उपखण्ड लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू, जयपुर।